

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्र. प.3(73)नविवि/3/2013

जयपुर दिनांक 02/07/2014

आदेश

समय-समय पर नगर विकास न्यास व विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है कि ऐसे शहर जहां अनुमोदित मास्टर प्लान प्रभावी है तथा प्रारूप मास्टर प्लान जारी किया गया है, ऐसी परिस्थिति में किस मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार कार्य सम्पादित किये जावें।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पूर्व में पत्र क्र. प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 08.06.2010, 01.07.2010 व 08.07.2010 को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व के आदेशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

“ऐसी परिस्थितियों में जहां मास्टर प्लान प्रभावशील है तथा प्रारूप मास्टर प्लान आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी किया जा चुका है, में प्रचलित मास्टर प्लान जो प्रभावशील है के प्रावधानानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जावें, ना कि प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार जो अभी प्रभावी नहीं हुआ है।”

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी राधिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय